न्यायालय तहसीलदार नसीराबाद, जिला-अजमेर

(पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	प्रकरण प्रकृति	निर्णय दिनांक
229		Lrct	17-10-19

भू० राजस्व अधि० की धारा 91

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित है / नहीं है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पटवारी हल्का ......सामोदा...... उप तहसील नसीराबाद द्वारा रिपोर्ट इस आशय की गई की अतिक्रमी ......रूपा...... पुत्र ......नन्दा...... जाति ......जाट...... निवासी ग्राम......सामोदा...... तहसील-नसीराबाद, जिला-अजमेर द्वारा वाके ग्राम......सामोदा...... तहसील नसीराबाद स्थित सरकारी ......2595, 121...... आराजी खसरा नम्बर ......3-10...... किस्म ......बा.1...... में से ......बा.1...... भूमि पर कब्जा काश्त ......कृषि...... कर अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट हल्का पटवारी बाद अवलोकन शामिल मिसल कर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अतिक्रमी को जारी नोटिस पूर्ण रूपेण तामील होना पाया जाता है। तामील रिपोर्ट शामील मिसल की गई।

अतिक्रमी बावजूद सूचना उपस्थिती नहीं लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने प्रकरण का गहणता से अवलोकन किया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार आराजी पर अतिक्रमी द्वारा कब्जा किया जाना प्रतित होता है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुणा शास्ति से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश है कि ......रूपा...... पुत्र ......नन्दा...... जाति ......जाट...... निवास ग्राम ......सामोदा...... तहसील-नसीराबाद, जिला-अजमेर को वाके ग्राम......सामोदा...... तहसील-नसीराबाद स्थिति आराजी राजकीय भूमि खसरा नम्बर ......2595, 121...... रकबा ......3-10...... किस्म......बा.1...... में से अतिचारित कब्जा ......3-10...... पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जावे तथा अतिक्रमी आराजी पर अतिक्रमण जुर्म में लगान राशि ......9.20...... रुपया का 50 गुणा राशि अक्षरे ......460...... रुपया शब्देन ......चार सौ साठ...... रुपया मात्र शास्ति से दण्डित किया जाता है।

पटवारी हल्का को शास्ति को वसूली हेतु तथा मौके से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु अहकाम जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील व तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

तहसीलदार नसीराबाद

Scanned by CamScanner